

2026:AHC-LKO:19386

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438

दं.प्र.सं. - 95 वर्ष 2026

राजी उल्लाह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहसिन इकबाल, हुसैन अस्करी, सैयद शबीह हैदर
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, यद्यपि नोटिस विधिवत रूप से तामील किया जा चुका है।

इस न्यायालय ने दिनांक 02.02.2026 के आदेश द्वारा आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी। दिनांक 02.02.2026 का आदेश निम्नानुसार उद्धृत है:-

"1. भारतीय दंड संहिता की धारा 395, थाना कुमारगंज, जनपद फैजाबाद/अयोध्या के अंतर्गत परिवाद संख्या 1577 वर्ष 2024 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

3. परिवाद वाद में यह आरोप लगाया गया है कि जब परिवादी अपने भतीजे आवेश अहमद, फारुख और सगीर के साथ 08.01.2010 को दोपहर लगभग 2.00 बजे भैंस खरीदने के लिए कुमारगंज बाजार जा रहा था और जैसे ही वह विश्वविद्यालय के सामने पहुँचा, अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे रोक लिया और देशी कट्टा निकालकर उससे 20,000/- रुपये लूट लिए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह एक परिवाद है। आज की तिथि तक आवेदक को कोई सम्मन, नोटिस या वारंट प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में जमानत आवेदन के पैरा 23 में विशिष्ट अभिवचन किया गया है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। घायल को आई चोटें प्रकृति में सामान्य हैं।

सह-अभियुक्त अहसान उल्लाह को अग्रिम जमानत संख्या 1237 वर्ष 2025 (प्रपत्र पुस्तिका का पृष्ठ 42) में पारित आदेश के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता वचन देते हैं कि आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए।

6. दिनांक 17.03.2026 को सूचीबद्ध करें। इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आपत्ति/प्रति-शपथ पत्र दाखिल करेंगे।

7. मामले के उपरोक्त पहलुओं, इस तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आवेदक की ओर से दिए गए इस वचन कि वह विचारण में सहयोग करेगा, अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि आवेदक लंबित विचारण से अवगत नहीं है जैसा कि उसके द्वारा जमानत आवेदन में तर्क दिया गया है, सह-अभियुक्त अहसान उल्लाह को अग्रिम जमानत संख्या 1237 वर्ष 2025 में पारित आदेश के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है, इन तथ्यों पर विचार करते हुए और मुकदमे के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, आवेदक को संरक्षण प्रदान करना उचित होगा।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह व्यवस्था दी जाती है कि आवेदक आज से 20 दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। ऐसे आत्मसमर्पण पर, आवेदक को विचारण न्यायालय के संतोष के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

9. आवेदक विचारण में सहयोग करेगा और वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। कोई अन्य शर्त जो विचारण न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे, वह भी अधिरोपित की जा सकती है।

चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.2026 के अनुपालन में, आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे अंतरिम अग्रिम जमानत



पर मुक्त किया गया है। उसने कार्यवाही में विधिवत सहयोग किया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विचारण में सहयोग जारी रखने का वचन देता है। उसने इस न्यायालय द्वारा उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा इन तथ्यों का खंडन नहीं किया जा सका।

हालाँकि, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध किया।

अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के उपरांत, विशेष रूप से यह कि इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का आवेदक द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया है, विचारण में सहयोग करने हेतु उसके द्वारा दिए गए वचन, और इस तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण को एतद्वारा स्थायी किया जाता है।

तदनुसार, आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

मार्च 17, 2026

विनय/-

(करुणेश सिंह पवार, न्यायमूर्ति)